>

Title: Need to provide Rajasthan its due share of water from surplus water of Rabi-Beas for Sidhmukh-Nohar Irrigation Project.

श्री राम सिंह कस्वां (चुरू) ः

पंजाब, हरियाणा एवं राजस्थान के मुख्यमंत्रियों द्वारा दिनांक 31.12.1981 को प्रधानमंत्री की उपस्थिति में हुए अनुबंध के अंतर्गत राजस्थान को रावी-व्यास के आधिक्य जल में से 8.60 एम.ए.एफ. पानी आवंटित किया गया था। उक्त समझौते के तहत सिधमुख-नोहर के लिए 0.47 एम.ए.एफ. पानी का आवंटन किया गया। पूर्व में ही सिधमुख-नोहर सिंचाई प्रणाली के लिए 0.30 एम.ए.एफ. पानी उपलब्ध है। शेष 0.17 एम.ए.एफ. पानी (एक्स नांगल) राजस्थान को नांगल में भाखड़ा मेन लाइन के माध्यम द्वारा राजस्थान के संसाधनों से प्रवाहित किया जाना था। भाखड़ा-व्यास प्रबंधन निगम की दिनांक 11.7.2006 को आयोजित 192वीं बैठक में राजस्थान ने पुनः एजेण्डा रखा कि भाखड़ा मेन लाइन की पूर्ण क्षमता सुनिश्चित कर ली गई है। अतः राजस्थान का बकाया हिस्सा आवंटित किया जाए। जिसे पंजाब के सदस्यों ने भी स्वीकार किया, परंतु हरियाणा की असहमति के कारण इस प्रकरण को भारत सरकार को निर्णय हेतु प्रेषित कर दिया गया। राजस्थान सरकार ने बार-बार भारत सरकार को उक्त पानी दिलवाने के लिए केन्द्रीय जल संसाधन मंत्री से निवेदन किया है, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। सिधमुख-नोहर क्षेत्र में नहरों व माईनरों का निर्माण पूर्ण हो चुका है। पानी के अभाव में वहां का किसान अत्यधिक परेशान है। राजस्थान में बार-बार अकाल पड़ने के कारण किसान की हालत अत्यंत ही खराब होती जा रही है। अतः मेरा सरकार से निवेदन है कि प्रभावी कार्यवाही कर सिधमुख-नोहर के हिस्से का शेष पानी 0.17 एम.ए.एफ. दिलवा कर अनुग्रहीत करे।